



राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या 47/2025

प्रार्थी/सायल
राजस्थान सरकार जरिये
हल्का पटवारी बारासण

बनाम

अप्रार्थी/गैर सायलान्
चौखाराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई
निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी
जिला बालोतरा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 04.02.2026

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का बारासण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बारासण की राजकीय भूमि ख.न. 587 रकबा 2.8733 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आगोर(राजकीय भूमि) में से 0.0092 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा अस्थाई केबिन लगाकर अतिक्रमण/अतिचार कर रखा है। अतः गैर सायलान् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान् को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 04.02.2026 को हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायलान् अनुपस्थित। गैर सायलान् को सुनवाई का मौका देने व खुले न्यायालय में तीन बार तीन-तीन आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म गैर मुमकिन आगोर(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायलान् का अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। अतः गैर सायलान् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.05 रुपये का राउण्ड अप 01 रुपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायलान् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी द्वारा अस्थाई केबिन को हटा कर सरकारी तहवील में लेने व गैर सायल को बेदखली के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली, नीलामी एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, ILR तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ईश्वरलाल सोलंकी^{आर.टी.एस.})
तहसीलदार गुड़ामालानी

